

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रखल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 647 दिनांक 31/7/2020

पत्ती +

आवासीय

श्री डा० महेश चन्द्र शर्मा श्री उमाशंकर शर्मा
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प.सं. 21/326 चर्चासूची 317
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय बोर्ड
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6677/- जमा
जारेगे रसीद संख्या 9069/9828, 9829
दिनांक 31/7/2020 को जमा करा दी है ।

31/7/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर



Raghav Sharma s/o

Dr. Mahesh Chandra Sharma

76270-70661